न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... ठकीमन बानो (1,) हलीम .... बनाम .... कोजमाड इमरान ....

किस्म मुकदमा .... धारा-225 .... अपील संख्या .... 2025/60 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... विनोद खण्डेलवाल .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.7.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु पुन: अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 5/8/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	5.8.25
5.8.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभि. अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंटगण की तलबी बाबत रजिस्टर्ड डाक आदिनांक तक नहीं करवायी गयी है। इस हेतु अभि. अपीलांट को पर्याप्त अवसर भी दिये जा चुके हैं। अत: पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदमहाजरी (मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते)

न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा राज0

1– हफीजन बानो आ0 बुद्वन खां जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड (मृतक)

जरिये कायमुकामान

1/1 सलीम पुत्र हफीजन बानो, काले खां जाति–मुसलमान निवासी–हबीब नगर झालवाड राज0

1/2 सलाम पुत्र हफीजन बानो, काले खां जाति–मुसलमान निवासी–हबीब नगर झालवाड राज0

1/3 कलाम उर्फ गुड्डु पुत्र हफीजन बानो, काले खां जाति–मुसलमान निवासी–हबीब नगर झालवाड राज0

1/4 इस्लाम उर्फ टाटिया पुत्र हफीजन बानो, काले खां जाति–मुसलमान निवासी–हबीब नगर झालवाड राज0

1/5 सितारा पुत्री हफीजन बानो, काले खां पत्नी मेहमूद जाति–मुसलमान निवासी–भीमसिंह जी की हवेली झालवाड राज0

1/6 चीनी उर्फ नजमा बेगम पुत्र हफीजन बानो, काले खां पत्नी रसीद जाति–मुसलमान निवासी–हबीब नगर झालवाड राज0

1/7 शबाना पुत्री हफीजन बानो, कालें खां पत्नी श्री डॉक्टर जेनुल अलादीन जाति–मुसलमान निवासी–शास्त्री नैनवा रोड, सेन्ट्रल बैंक के पीछे, बून्दी राज0

––अपीलान्ट

––बनाम––

1– मोहम्मद इमरान आत्मज मोहम्मद रफीद जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड हाल रामगंजमण्डी कोटा

2– मोहम्मद इरफान आत्मज मोहम्मद रफीद जाति–जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड हाल रामगंजमण्डी कोटा

––2

3– शबनम बी पुत्री आ0 मोहम्मद रफीद जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड हाल रामगंजमण्डी कोटा राज0

4– कन्हैयालाल पुत्र श्री कैलाशचंद धाभाई जाति–गुर्जर निवासी–झालावाड

5. अकरम पठान आ0 नूर मोहम्मद जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड

6.. सलमा पुत्री नूर मोहम्मद जाति–मुसलमान निवासी–झालावाड

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील झालरापाटन जिला झालावा

—रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व आदेश दिनांक–23.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड राजस्थान मिसल संख्या–519/2022 इमरान वगैराह बनाम कन्हैयालाल वगैराह

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करते है कि:–

यह कि अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के समक्ष रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 द्वारा एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की वाद विषय आराजी मे वादी कम–1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/24 हक हिस्सा व प्रतिवादी कम'–1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी कम–2 का 5/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम–3 लगायत 5 के पिता नूर मोहम्मद का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का खातेदारान के मध्य विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण भूमि का विभाजन करवाये बिना उक्त भूमि को बैचान व खुर्द बुर्द करने पर आमदा है अतः ताफैसला वाद रेस्पो0 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां रेस्पो कम–1 लागायत 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 का वादग्रस्त